न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 584 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. जसकरण सिंह } पुत्रगण हरफुल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील
2. सुखदीप सिंह } संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम्

1. हरफुल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गगनदीप कौर पुत्री हरफुल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री आशिष नेहरा —वकील वादीगण
2. श्री रविन्द्र कुमार—वकील प्रति.सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :— 10.12.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण व प्रतिवादी सं. 02 के पिता है। वादीगण प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं. 02 प्रतिवादी सं. 01 की पुत्री हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 02 सगे भाई बहिन हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 02 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67 जं.सं. 2071—2074 में 1.771 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 11 बीजीपी खाता सं. 34 / 22 जं.सं. 2071 / 2074 में 2.024 है. व चक नं. 6 बीजीपी—बी के खाता सं. 29 / 31 जं.सं. 2073—2076 में 0.180 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त खातों की जमाबन्दीयां सलग्न वादपत्र हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67 जं. सं. 2071—2074 में 1.771 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 11 बीजीपी खाता सं. 34 / 22 जं.सं. 2071 / 2074 में 2.024 है. व चक नं. 6 बीजीपी—बी के खाता सं. 29 / 31 जं.सं. 2073—2076 में 0.180 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि का वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ अच्छी मंदी अनुसार घरू—विभाजन कर लिया है। मुताबिक घरू—विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त बाबत

Signature Not Ve
Digitally signed by Jai
Date: 2024.12.24 14:
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादीगण के साथ कोई विवाद नहीं है। किन्तु रकबा सांझा खाता मे दर्ज होने कारण ट्युवेबल का कनैक्शन लेने, डिग्गी निर्माण व फसली ऋण लेने, फसल बेचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादीगण मुताबिक कब्जा काश्त अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। मुताबिक घरूविभाजन वादीगण को भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क– वादीगण सुखदीप सिंह व जसकरण सिंह के बहिब हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
192 / 146	5	10,11,20 ता 23 / 0.253 है.प्रं.
		कुल 1.518 हैक्ट.

ख– प्रतिवादी सं. 01 हरफुल सिंह के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67

पं.नं.	मुं.नं.	किला नं.
193 / 145	3	25 / 1 / 0.215 है., 25 / 2 / 0.038 है.

कुल 0.253 हैक्ट. मय गैर. वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 01 के नाम चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67 ज.सं. 2071–2074 में 1.771 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा चक नं. 11 बीजीपी खाता सं. 34 / 22 जं.सं. 2071 / 2074 में 2.024 है. व चक नं. 6 बीजीपी–बी के खाता सं. 29 / 31 जं.सं. 2073–2076 में 0.180 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की विरासतन प्राप्त भूमि हैं। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिवादी सं. 1 के बराबर बहिब हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के हिस्सा में छोड दी हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि का घरू–वंटवारा कर रखा हैं। वादीगण के हिस्सा में चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 हैक्ट. भूमि आई हैं। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई हैं। इसलिए वादीगण चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 हैक्ट. भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम कर रकम राज अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। वादीगण ने प्रतिवादी गण से कईबार निवेदन किया है कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार [illegible] में रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे [illegible] पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो [illegible]

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वादे [illegible] निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 11 [illegible]पी के खाता सं. 14 / 67 जं.सं. 2071–2074 में 1.518 हैक्ट. भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

जाकर रकम राज अलग कायम किया जावें। वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार अलग कर रकम राज अलग कायम किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जसकरण सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 11 बीजीपी के खाता संख्या 14/67 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दी एवं चक 11 बीजीपी के नामान्तरण संख्या 601 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 11 बीजीपी खाता संख्या 14/67 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 1.771 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 11 बीजीपी के नामान्तरण संख्या 601 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 हरफूल सिह पुत्र हाकम सिह के नाम चक 11 बीजीपी खाता संख्या 14/67 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 आराजी दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाब दावा पेश किया है। ... साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादि वादीगण ... सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार हो... स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kau
Date: 2024.12.24 14:59:58
Reason: SelfAttested

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 हरफूल सिह पुत्र हाकम सिह के नाम दर्ज चक 11 बीजीपी खाता सं. 14/67 ज.सं. 2071–2074 में 1.771 है. कृषि भूमि मे से 1.518 है. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता एवं उक्तानुसार प्रतिवादी सख्या 1 का कम किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क– वादीगण सुखदीप सिंह व जसकरण सिंह के बहिब हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14/67

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
192/146	5	10,11,20 ता 23/0.253 है.प्रं.कुल 1.518 हैक्ट.

ख– प्रतिवादी सं. 01 हरफुल सिंह के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14/67

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
193/145	3	25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 584 / 2024

1. जसकरण सिंह
2. सुखदीप सिंह } पुत्रगण हरफुल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. हरफुल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गगनदीप कौर पुत्री हरफुल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री आशिष नेहरा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 हरफूल सिह पुत्र हाकम सिह के नाम दर्ज चक 11 बीजीपी खाता सं. 14 / 67 ज.सं. 2071–2074 में 1.771 है. कृषि भूमि मे से 1.518 है. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता एवं उक्तानुसार प्रतिवादी सख्या 1 का कम किया जाकर वादीगण एवं प्रति. संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क– वादीगण सुखदीप सिंह व जसकरण सिंह के बहिब हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
192 / 146	5	10,11,20 ता 23 / 0.253 है.प्रं.कुल 1.518 हैक्ट.

ख– प्रतिवादी सं. 01 हरफुल सिंह के हक व हिस्सा की भूमि
चक नं. 11 बीजीपी के खाता सं. 14 / 67

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
193 / 145	3	25 / 1 / 0.215 है., 25 / 2 / 0.038 है.

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज......✗......नल......✗......मुब्लिक......✗......निल......✗......बाबत......✗......से......✗......वसूलयाबी तक......✗...... मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.12.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 14:39:58 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया